**हरियाणा सरकार**

पर्यावरण विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक प्रथम सितम्बर, 2015

**संख्या सा.का.नि.16/संवि./अनु.309/2015.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पर्यावरण विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा पर्यावरण विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा पर्यावरण विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 14 के सामने, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

| 3 | 4 |
|---|---|
| "(i) मैट्रिक ;<br>(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ;<br>(iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ;<br>(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;<br>(v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; | **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा–**<br>(i) मैट्रिक ;<br>(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ;<br>(iii) हल्का परिवहन वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव ;<br>(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;<br>(v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;<br>(vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए"। |

अनुराग रस्तोगी,<br>
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,<br>
पर्यावरण विभाग ।